राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(10)राज-6/9?/3 जयपुर, दिनांक : 15 फरवरी, 2001

## - अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या-15) की धारा 90-क और 102 के साथ पठित धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (xl-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमाओं के संनिर्माण तथा पेट्रोल पम्प या चिकित्सा सुविधाऐं स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन और नियमितिकरण) नियम, 197? को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमाओं के संनिर्माण तथा पेट्रोल पम्प या चिकित्सा सुविधाऐं स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन और नियमितीकरण) (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 5 का संशोधन.-** राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमाओं के संनिर्माण तथा पेट्रोल पम्प या चिकित्सा सुविधाऐं स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन और नियमितीकरण) नियम, 1978 के नियम 5 के खण्ड (ग) के नीचे आये विद्यमान परन्तुक को हटाया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर)
शासन उप सचिव